

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक:प.2 / लेखा-1 / यो. / बजट / 2016-17 / 12480-88

दिनांक: 3/6/16

जरावस्था निवारण केन्द्र योजना हेतु बजट आवंटन

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक:प.18(6)आयु./2016 दिनांक 23-05-16 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में नये जरावस्था निवारण केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चिकित्सालयों में जरावस्था निवारण केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-04-796-(01)-[01]-आयोजना व्यय में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	जरावस्था निवारण केन्द्र का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	60-भैषज और औषधियाँ
12752	राज.आयु.औष. देवगढ-राजसमन्द	जि.आ.अ. राजसमन्द	2.00
17810	राज.आयु.चिकि. प्रतापगढ	राज.आयु.चिकि. प्रतापगढ	2.00
6544	राज. आयु. औष. आसरलाई-पाली	जि.आ.अ. पाली	2.00
14013	राज.आयु.चिकि. बाडमेर	राज.आयु.चिकि. बाडमेर	2.00

1. उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमा अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।


वित्तीय सलाहकार,

क्रमांक:प.2 / लेखा-1 / यो. / बजट / 2016-17 / 12480-88

दिनांक: 3/6/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित आहरण एवं वित्तरण अधिकारी
3. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर/जोधपुर।
4. प्रभारी, सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।

5 प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कोषागार पा अफिस हेतु


वित्तीय सलाहकार,

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक:प.2/लेखा-1/यो./बजट/2016-17/12489-98

दिनांक: 3/6/16

जरावस्था निवारण केन्द्र योजना हेतु बजट आवंटन

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक:प.18(6)आयु./2016 दिनांक 23-05-16 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में नये जरावस्था निवारण केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चिकित्सालयों में जरावस्था निवारण केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-02-789-(01)-[01]-आयोजना व्यय में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	जरावस्था निवारण केन्द्र का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	60-भैषज और औषधियाँ
16945	राज.प्राकृ.चिकि. गायत्रीनगर भीलवाडा	जि.आ.अ. भीलवाडा	2.00
6113	राज.आयु.सामान्य चिकि.एक छत जैसलमेर	जि.आ.अ. जैसलमेर	2.00
17577	राज. आयु. चिकि. झिलाय-टौंक	जि.आ.अ. टौंक	2.00
12235	राज.आयु.चिकि. दौसा	जि.आ.अ. दौसा	2.00

1. उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रचर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमा अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।


वित्तीय सलाहकार,


क्रमांक:प.2/लेखा-1/यो./बजट/2016-17/12489-98

दिनांक: 3/6/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित आहरण एवं वित्तरण अधिकारी
3. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
4. प्रभारी, सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।

5. प्रभारी, इन्फ्रास्ट्रचर 2112 को लेखा-4 का अप्रभारी है।


वित्तीय सलाहकार,

जरावस्था निवारण केन्द्र योजना हेतु बजट आवंटन

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक:प.18(6)आयु./2016 दिनांक 23-05-16 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में नये जरावस्था निवारण केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चिकित्सालयों में जरावस्था निवारण केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-02-101-(02)-[01]-आयोजना व्यय में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	जरावस्था निवारण केन्द्र का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	60-भैषज और औषधियाँ
12889	राज.आयु.चिकि. सागवाडा	राज.आयु.चिकि. सागवाडा	2.00
16169	राज.आयु.चिकि. झालावाड	राज.आयु.चिकि. झालावाड	2.00
8906	राज. आयु. चिकि. एक छत सार्वजनिक चिकि. सिरोही	जि.आ.अ. सिरोही	2.00

1. उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रचर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमा अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।


वित्तीय सलाहकार,

1. शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित आहरण एवं वित्तरण अधिकारी
3. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर/कोटा।
4. प्रभारी, सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।

5 प्रभारी, उदयपुर शाखा को केव लार्ड पा 34 लेखे हेतु


वित्तीय सलाहकार,